<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 224 / 13</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 16 / 07 / 13</u> फाईलिंग नं. 233504000582013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

सोनू पिता लक्ष्मण राठौर, उम्र 23 वर्ष निवासी राठौर मोहल्ला आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 22.01.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 10. 07.2013 को 11:00 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल तिराहा आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 1¼ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 10.07. 2013 को सहायक उप निरीक्षक जी.पी. रम्हारिया को दूरभाष पर सूचना मिली कि पीर मंजिल तिराहा आमला में अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लिए धूम रहे हैं, जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लिए मिला जिसे उसने हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा अभियुक्त द्वारा लोहे की छुरी अवैध रूप से रखने के संबंध में कागजात न होना बताये जाने पर उसने उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 182/13 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की

गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.07.2013 को 11:00 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल तिराहा आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 11/4 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 10. 07.2013 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ पीर मंजिल चौराहा पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे का छुरी लिए मिला जिस पर उसने अभियुक्त को हो राबंदी कर पकड़ा तथा अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 182/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए को वही छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त की थी।
- 6 यादोराव (अ.सा.—1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।
- 7 साक्षी संजू के अदम पता हो जाने से उसकी साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी है। प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी यादोराव (अ.सा.–1) ने जप्ती का

समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर. 1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

- 8 जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर मौके पर जाना, अभियुक्त से लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना प्रकट किया है। प्रति परीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि प्रकरण में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि गवाह संजू और यादोराव को साथ में लेकर मौके पर पहुंचे थे। स्वतः में बताया है कि मौके पर गवाह मिले थे। जप्तशुदा छुरी की नाम किस चीज से की गयी है उसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया गया है।
- 9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) के अवलोकन से जप्तशुदा छुरी को जप्त किये जाने के उपरांत उसे मौके पर सीलबंद किया गया हो ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही जप्तशुदा आयुध की नापजोप किस चीज से की गयी इसके संबंध में भी कोई कथन विवेचक साक्षी जी.पी. रम्हारिया ने नहीं किया है, न ही कोई स्पष्टीकरण उनके कथनों से प्रकट हो रहा है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।
- 10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 10.07.2013 को 11:00 बजे या उसके लगभग पीर मंजिल तिराहा आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 1¼ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सोनू को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का

निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

- 12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)